15-10.25

पत्रावली पेश हुई।

पक्षकारान वकील उपस्थित।

प्राथना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने तर्क दिए कि वादीगण का वाद माननीय न्यायालय में दिनांक 04.06.2025 को सुनवाई हेतु नियत था। नियत तारीख पेशी को वादीगण मय अधिवक्ता माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण हस्तगत प्रकरण को माननीय न्यायालय द्वारा पेशी तारीख 04.06.2025 को अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज कर दिया गया। वादीगण के वाद के खारिज होने की जानकारी होने के तुरन्त बाद जरिये अधिवक्ता वाद को पुनः बरामद किए जाने का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया। वादीगण अपनी पैतृक भूमि के कब्जा काश्त की हक हिस्सा अनुसार सरंक्षण हेतु वाद पत्र पेश किया गया था और माननीय न्यायालय द्वारा यदि वाद को पुनः बरामद नहीं किया जाता है,तो के साथ अन्याय होगा। अतः न्यायहित में वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद पुनः बरामद किया जाने का आदेश फरमावें जावें।

वादी वकील के उक्त प्रार्थनापत्र के तथ्यों का प्रतिवादी वकील द्वारा एतराज व्यक्त करते हुए कथन किया कि पूर्व में वादी वकील द्वारा कई बार न्यायालय में उपस्थित नहीं होंने से अदम पेरवी में खारिज हो चुके है। एक अनय विचाराधीन वाद सं. 43/2020 अनवान पुनमाराम बनाम रूपाराम को अनावश्यक लम्बा करने की नीयत से इस आवेदन के जरिये वाद सं. 22/2021 को पुनः बरामद करवाया जा रहा है, जो नयायोचित नहीं होने से आवेदन को इसी स्तर खारिज किया जावे।

हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और मूल पत्रावली का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में [illegible] विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया की वादीगण का वाद दिनांक 04.06.2025 [illegible] पक्षकारान की सुनवाई हेतु नियत था। लेकिन नियत पेशी तारीख पर वादीगण एवं उनके अधिवक्ता के हाजिर नहीं होने

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 13:48:34 IST
Reason: SelfAttested

पर वादीगण का वाद अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया गया। चूंकि वादीगण के अधिवक्ता की ओर से मूल वाद को पुनः बरामद किये जाने का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है और माननीय न्यायालय का यह मानना है,कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए एवं वादीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ताकि वे अपने हक हकूको के लिए सम्पूर्ण पैरवी कर सकें। उपरोक्त विवेचन के उपरांत अदालत यह उचित समझती है,कि वादीगण का वाद पुनः बरामद किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय के आदेश दिनांक 04.06.2025 को निरस्त किया जाकर वादीगण का वाद पुनः बरामद किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
SDO रिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 13:48:34 IST
Reason: SelfAttested